फर्द अहकाम

न्यायालय

अर्जुनलाल बनाम राजन्ती देवी

संख्या 77/2017 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12/10/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। वकील वादी प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किये जाने पर सहमत है। पत्रावली वास्ते अवलोकन। आदेश दिनांक 18/11/20 को पेश हो।	मुताबिक कुर्रेजात डिक्री करने पर सहमत हूँ। [signature] 12/10/2020
	18/11/20	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैस / कार्य स्थिागित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 24/11/20 को पेश हो।	
	24/11/20	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / ~~अवकाश~~ पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 25/11/20 को पेश हो।	
	25/11/20	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद अन्तिम किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवायी जाकर शामिल किया गया। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:04:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0–77 / 2017
उनवान–अर्जुनलाल बनाम राजन्ती देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–25.11.2020

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–77/2017

उनवान

अर्जुनलाल पुत्र श्री ठण्डूराम, उम्र 75 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम बगड़ी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजन्ती देवी पत्नि श्रीराम मीणा, उम्र 45 वर्ष, निवासी भीखाहेड़ी कलां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :–25.11.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 पर सहमति जताई एवं वाद को अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया गया। वादपत्र तकासमा का है व खातेदारों का रिकॉर्ड व मौके के अनुसार तकासमा किया जाना है। कुर्रेजात रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि कुर्रेजात प्रस्ताव सभी काश्तकारों के रिकॉर्ड व मौके के अनुसार व रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। जो न्यायालय के आदेशानुसार बनाई गई है जिसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। अतः मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 के अनुसार वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है एवं विवादित भूमि आराजी खसरा नं0 5935 रकबा 1.35 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील [illegible] जिला जयपुर का बंटवारा निम्नानुसार किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:04:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner

1. अर्जुनलाल पुत्र ठण्डूराम, जाति मीणा, सा0 बगड़ी खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 5935/2 रकबा 0.1687 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1687 हैक्टेयर भूमि जो कि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।
2. राजन्ती देवी पत्नि श्रीराम, जाति मीणा सा0 भीखाहेड़ी कलां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 5935/1 रकबा 1.1813 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.1813 हैक्टेयर भूमि जो कि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

अंतिम डिक्री जारी हो। नजरी नक्शा डिक्री व निर्णय का जुज रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
चौमूं

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:04:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मु0सं0–77/2017
उनवान–अर्जुनलाल बनाम राजन्ती देवी वगै0
निर्णय दिनांकः–25.11.2020

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती निशा सहारण (R.A.S.)

उनवान

अर्जुनलाल पुत्र श्री ठण्डूराम, उम्र 75 वर्ष, जाति मीणा, निवासी ग्राम बगड़ी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजन्ती देवी पत्नि श्रीराम मीणा, उम्र 45 वर्ष, निवासी भीखाहेड़ी कलां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0:–77/2017

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्रीमती निशा सहारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि–

विवादित भूमि खसरा नं0 5935 रकबा 1.35 हैक्टेयर कुल किता 1 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि, वाके ग्राम खेजरोली, पटवार हल्का खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 11.03.2020 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवारा किया जाता है:–

1. अर्जुनलाल पुत्र ठण्डूराम, जाति मीणा, सा0 बगड़ी खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 5935/2 रकबा 0.1687 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.1687 हैक्टेयर भूमि जो कि प्र[illegible]नजरी नक्शे में नारंगी रंग से दर्शायी गई है।
2. राजन्ती देवी पत्नि [illegible] कलां, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर खातेदार के हिस्से में खसरा नम्बर 5935/1 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:04:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with CamScanner

1.1813 है0 कुल किता 1 का कुल रकबा 1.1813 हैक्टेयर भूमि जो कि प्राप्त होकर कब्जे में रहेगी। जोकि नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायी गई है।

3.

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.11.2020 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर
ओहदा..चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 0	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	2	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2021.01.08 14:04:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner